उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकम)

U.P.POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्याः– 485–अ0प्र0–07 / पा0का0लि0 / 17 दिनांक 17 / 02 / 2017

सूचना

विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं0–09 / विसेआ / 2016 / Sanctioned / ए0ई0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु)–कम्प्यूटर साइंस एवं सिविल के पदों पर चयनित किये गये अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके नियुक्ति पत्र (ऑफर लेटर) सम्बन्धित संलग्नकों सहित स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये जा रहे हैं, साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि प्रेषित किये गये नियुक्ति पत्र (ऑफर लेटर) का प्रारूप तथा निर्दिष्ट शर्ते एवं वांछित प्रपत्रों को इस वेबसाइट पर इस आशय से अपलोड किया जाता है कि सम्बन्धित चयनित अभ्यर्थी तद्नुसार आवश्यक सम्पूर्ण प्रपत्रों को तैयार कर, **विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर (कानपुर रोड), लखनऊ में दिनांक 28.02.2017 को सुबह 10:00 बजे** उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

Indramani

(इन्द्रमणि)

उप सचिव

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ–226001
CIN: U32201UP1999SGC024928
फोन नं0 0522–2218421/2287590/2218411

संख्या–425–अ0प्र0–07/पा0का0लि0/17–54–अ0प्र0–07/16 दिनांक 17 /02/2017

स्पीड पोस्ट

.... (ROLL NO. ....) (............)
S/O ....
....
....

विषय :– सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (कम्प्यूटर साइंस) के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषय में मुझे यह सहर्ष कहने का निदेश है कि विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं0–09/विसेआ/2016/Sanctioned/ए0ई0 द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (कम्प्यूटर साइंस) के पद पर नियुक्ति हेतु आपका चयन संलग्न सेवा शर्तो के अधीन किया गया है।

2. आपका सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (कम्प्यूटर साइंस) के रूप में प्रशिक्षण महानिदेशक, (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ होगा, जिसकी सूचना संस्थान द्वारा आपको अलग से दी जायेगी।

3. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1915–पे0 एवं आर0–28/पाकालि/02–8–काविनी/2001, दिनांक 06.06.2003 में उल्लिखित अधिकारी/कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना एवं तत्सम्बन्धी प्राविधान आप पर लागू होंगे।

4. कार्यभार ग्रहण करने के समय आपको अपने पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र सहित निम्नलिखित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं बन्ध पत्र (यथाविधि निष्पादित) प्रस्तुत करने है :–

(1) **प्रमाणपत्र**

(अ) पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्यापित प्रति।

(ब) अन्तिम विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय, जहां आपने शिक्षा ग्रहण की हो, के प्राचार्य अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे चाल–चलन एवं चरित्र का प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र)

(स) दो उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारी, जो आपके सम्बन्धी न हों) से प्राप्त "चरित्र प्रमाण पत्र"। (दोनों आपसे भली–भांति परिचित हों एवं आपके विश्वविद्यालय, विद्यालय अथवा स्कूल से सम्बन्धित भी न हो।

(द) आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(ध) वर्तमान सेवायोजक से प्राप्त "कार्यमुक्ति पत्र", यदि आप शासकीय/अर्धशासकीय विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। "कार्यमुक्ति पत्र" के अभाव में आपको किसी भी दशा में कार्य भार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2nd

(न) मंडलीय चिकित्सा परिषद' से प्राप्त ''स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र''।

(च) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रदत्त ''जाति प्रमाण पत्र'' (अनु0 जा0/अनु0 जन जा0 के अभ्यर्थियों के लिये ''परिशिष्ट–छ'') व (अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ''परिशिष्ट–ज'') (मूलरूप में)।

(2) घोषणा पत्र

(अ) समस्त चल/अचल सम्पत्ति, आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहीत सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुये। इस प्रकार की सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट 'क' में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाय।

(ब) पावर कारपोरेशन लि0 के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से सम्बन्धित घोषणा पत्र परिशिष्ट 'ख' में निर्धारित प्रपत्र पर।

(स) राजनीतिक दलों से सम्बद्धता/असम्बन्धता संबंधी घोषणा पत्र परिशिष्ट 'ग' में निर्धारित प्रपत्र पर।

(द) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा उपक्रम में कार्यरत न होने अथवा कार्यरत होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र परिशिष्ट 'घ' में निर्धारित प्रपत्र पर।

(य) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने के सम्बन्ध में (परिशिष्ट ''य'')।

(र) पावर कारपोरेशन लि0, में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में (परिशिष्ट ''य'')।

(ल) आपके ऋणमुक्त होने के सम्बन्ध में। (परिशिष्ट ''य'')।

(व) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियों में) परिशिष्ट 'झ' में निर्धारित प्रपत्र पर (4 सेट में)।

(3) बन्ध पत्र

बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए। सेवा अनुबन्ध पत्र आपके द्वारा एवं नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न सेवा शर्तो में मद सं0–4 में वर्णित व्यक्ति (प्रतिभू) द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए। निष्पादित सेवा अनुबन्ध पत्र के अभाव में आपको कार्य ग्रहण करने की अनुमति नही दी जायेगी। संलग्न सेवा शर्तो के मद सं0–4 के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में बन्ध पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। बन्ध पत्र के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्र निर्देशों सहित परिशिष्ट 'च' के रूप संलग्न है। बन्ध पत्र नान ट्रान्सफरेबिल होगा व किसी अन्य संस्था/विभाग में दिये गये बन्ध पत्र के आधार पर उपरोक्त बन्ध पत्र की शर्तो में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

4 नियुक्ति सम्बन्धी संलग्न सेवा शर्ते यदि आपको स्वीकार हैं तो आप **विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, (कानपुर रोड), लखनऊ में दिनांक 28 फरवरी, 2017 को प्रातः 10 बजे अभिलेखों/प्रमाणपत्रों के** सत्यापन हेतु उपस्थिति हों। उक्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों में किसी के भी उपलब्ध न होने अथवा अपूर्ण होने पर आपको कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नही दी जायेगी।

5 यदि आप उक्त निर्धारित तिथि में वांछित अभिलेखों/प्रमाणपत्र के साथ सत्यापन कराने हेतु उपस्थित नही होते हैं, तो यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

6 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

7 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये यह अस्थायी नियुक्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के प्रतिबन्धाधीन होगी।

8 भविष्य में आप द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख अथवा प्रमाणपत्र यदि फर्जी या कूट रचित पाये जाते हैं तो आपकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और इस हेतु आपके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

Indramani

(इन्द्रमणि)
उप सचिव

संख्या:– 425 (1)अ0प्र0–07/पा0का0लि0/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महानिदेशक, (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित कर कारपोरेशन मुख्यालय के सूचनाधीन समस्त वितरण निगमों को सूचित करें।
2. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. व्यक्तिगत पत्रावली।

आज्ञा से,

Indramani

(इन्द्रमणि)
उप सचिव

<u>उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद पर नियुक्ति की सेवा शर्ते।</u>

1 **प्रशिक्षण**

आपकी प्रशिक्षण अवधि 12 माह की होगी। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर कारपोरेशन आपको सहायक अभियन्ता पद पर संवर्ग में नियुक्ति हेतु आपकी पद हेतु उपयुक्तता के प्रतिबन्ध के साथ विचार करेगा। प्रशिक्षण की समान अवधि 12 माह की होगी परन्तु कारपोरेशन को प्रशिक्षण अवधि कम करने अथवा बढ़ाने, जैसा कि उचित समझा जाये, का अधिकार होगा। यदि प्रशिक्षण कारपोरेशन की सन्तुष्टि के अनुरूप पूर्ण किया जाता है एवं आपकी सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्ति प्रशिक्षण की अवधि की तारतम्यता में की जाती है प्रशिक्षण अवधि की गणना सहायक अभियन्ता के वेतनवृद्धि हेतु की जायेगी।

प्रशिक्षण अवधि में आपका कार्यकलाप विभिन्न परीक्षाओं द्वारा मूल्यांकित किया जायेगा। यदि आप तीन निरन्तर परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहते हैं, तो आपकी सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

आपकी कार्यदक्षता असन्तोषजनक होने पर आपकी प्रशिक्षण अवधि बढ़ाये जाने अथवा नियुक्ति समाप्त करने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकांरी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

2 **परिलब्धियां**

प्रशिक्षण अवधि में आपको वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 में न्यूनतम वेतन रू0 15600/– तथा सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5,400/– अनुमन्य होगा। मूल वेतन के अतिरिक्त आपको महगाई भत्ता एवं कारपोरेशन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3 **कारपोरेशन में संविलीकरण**

प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त सहायक अभियन्ता पद पर नियमित संवर्ग में नियुक्ति हेतु आपकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिये आपको निर्धारित अन्तिम परीक्षा उर्त्तीर्ण करना आवश्यक होगा। यदि आप उपरोक्त अन्तिम परीक्षा में अनुर्त्तीण हो जाते हैं तो आपका प्रशिक्षण अधिकतम दो वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जोकि आपके प्रशिक्षण के प्रथम दिवस से आंकलित किया जायेगा एवं बढ़े हुए प्रशिक्षण की अवधि में आपको एक अवसर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रदान किया जायेगा परन्तु यदि आप द्वितीय परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं अथवा किसी कारणवश द्वितीय परीक्षा में उपस्थित नहीं हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4 **सेवा अनुबन्ध –पत्र**

क– इस नियुक्ति हेतु आप एवं आपके प्रतिभू (Surety) जो प्रचुर साधनों से युक्त हो (आपके पिता अथवा निकट संबंधी भी हो सकते हैं) को रू0 100/– मूल्य के नान–जुडिशियनल स्टैम्प पेपर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त न्यूनतम तीन वर्षों तक कारपोरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबन्ध–पत्र निष्पादित करना होगा। प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण पूर्ण के उपरान्त

---2/–

03 (तीन) वर्षों की सेवा अवधि में कारपोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से रू0 2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि कारपोरेशन को अदा करेंगे। आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के स्तर से कम न हों, से प्राप्त हैसियत प्रमाण भी आपको निष्पादित बन्ध पत्र के साथ कार्य ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में प्रदेश के बाहर के नवनियुक्त सहायक अभियन्ताओं का रू0 200000/–(दो लाख रूपये) के बन्ध पत्र हेतु प्रतिभू (Guaranteer), उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध न होने की स्थिति में, आ रही कठिनाई के निवारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती हैः–

ख – (1) यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी नहीं है तो वह एक नोटाराइज्ड एफीडेविट (नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र) इस आशय से प्रस्तुत कर दे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभू बनाये जा सकने वाला उसका कोई परिचित नहीं है।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है तो वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से रू0 200000/–(दो लाख रूपये) मात्र की सावधि जमा पत्र (Fixed Deposit) **उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में,** जो प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षों की सेवा अवधि अर्थात् **चार वर्ष की अवधि के लिये जमा करने** के बाद अभ्यर्थी के हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

5 कार्य ग्रहण करने सम्बन्धी अन्य सामान्य निर्देश

1. प्रशिक्षण अवधि में एवं तत्पश्चात् सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्त होने पर कारपोरेशन द्वारा समय–समय पर इस चयन में चयनित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित सेवा नियम, आदेश एवं विनियम आप पर लागू होगें।
2. सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
3. प्रशिक्षण से अनिधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने अथवा परीक्षा में असफल होने की दशा में आपकी प्रशिक्षण अवधि बढ़ायी जा सकती है जिसके फलस्वरूप सहायक अभियन्ता के संवर्ग में आपके बैच में आपकी ज्येष्ठता का ह्रास होगा।
4. आप राज्य में कहीं भी, जैसा कि सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर उपयुर्क्त समझाा जाये एवं तय किया जाये, तैनात/स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।
5. आपकी नियुक्ति आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के असन्तोषजनक पाये जाने की दशा में आपकी नियुक्ति, प्रशिक्षण की अवधि अथवा उसके पश्चात् किसी भी समय बिना कारण बताये हुये अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

....3/-

बन्ध पत्र निष्पादन किये जाने हेतु निर्देश

प्रतिभूति बन्धः–

1. बन्ध पत्र रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर टंकित किया जाना चाहिए यदि रू0 100/– के स्टाप्प पेपर 1 पन्ने (शीट) में उपलब्ध न हो तो, ऐसी दशा में 2 या 3 (शीट्स) जो कम मूल्य के हो परन्तु उनके मूल्य का कुल योग रू0 100/–हो, प्रयोग में लाये जा सकते हैं ।
2. अभियन्ता और प्रतिभू दोनों को कोरे पन्ने (शीट्स) सहित, यदि कोई हो, बन्ध पत्र के प्रत्येक पृष्ठ (पेज) पर हस्ताक्षर करना चाहिए ।
3. बन्ध पत्र पर किसी प्रकार की कांट–छांट, परिवर्तन अथवा पुर्नलेखन इत्यादि होने पर, प्रत्येक ऐसे स्थान पर अभियन्ता एवं प्रतिभू को संक्षिप्त हस्ताक्षर करने चाहिए ।
4. प्रतिभू एवं साक्षियों का पूरा नाम, पता व पद नाम का उल्लेख, उनके हस्ताक्षरों के नीचे करना चाहिए ।
5. वह दिनांक, जब बन्ध पत्र मजिस्ट्रेट के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था, नहीं बदला जाना चाहिए । निष्पादन के पश्चात् बन्ध पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए । यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बन्ध पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा और इस पर आने वाला व्यय अभियन्ता को ही स्वयं वहन करना होगा ।
6. बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए तथा अभियन्ता एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए ।
7. अभियन्ता और प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि तथा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करने की तिथि एक ही होनी चाहिए ।
8. प्रतिभू उ0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसे कम से कम रू0 2,00,000/–(रू0 दो लाख) के ऋण चुकाने में समर्थ होना चाहिए तथा इसके प्रमाण हेतु बन्ध पत्र के साथ किसी राजस्व अधिकारी से प्राप्त "ऋण शोधन क्षमता प्रमाण–पत्र " जो तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से निम्न का न हो, संलग्न किया जाना चाहिए ।
9. यदि प्रतिभू उत्तर प्रदेश में निवासित नहीं है तो वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से रू0 2,00,000/– (रूपये दो लाख) मात्र की सावधि जमा पत्र (Fixed Deposit) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में जो प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 03 (तीन) वर्षो की सेवा अवधि अर्थात 04 (चार) वर्ष की अवधि के लिए जमा करने के बाद अभ्यर्थी को हैसियत प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

—o—

(अभियन्ता द्वारा रू0 100/–के स्टाम्प पेपर पर निषादित होना है)

बन्ध पत्र

इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री .... पुत्र/पुत्री श्री .... अस्थायी सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के नियुक्ति पत्र सं0 .... दिनांक .... में वर्णित शर्तो के अधीन सेवा कर रहे हैं । (एतद्पश्चात "अभियन्ता " कहलायेंगे) एवं श्री .... पुत्र/पुत्री श्री ....
निवासी .... (एतद्पश्चात् "प्रतिभू " कहलायेंगे) एतद्द्वारा आबद्ध होते है कि (जिनमें उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं उत्तरवर्ती संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से,) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को (एतद् पश्चात् "कारपोरेशन" कहलायेंगे) मांगे जाने पर रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख) मात्र देने के बन्ध पत्रित होंगे ।

दिनांक ....मास ....वर्ष ....

हस्ताक्षरित

अभियन्ता के हस्ताक्षर

प्रतिभू के हस्ताक्षर

यतः कारपोरेशन ने अभियन्ता को नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार स्थायी सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में नियुक्त किया है ।

एवं यतः कारपोरेशन को यह आश्वास्त करने के आशय से कि अभियन्ता स्वंय अपनी ओर से कारपोरेशन की सेवाओं को, प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात उसके नियमित संवर्ग में सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष पश्चात तक नहीं छोड़ेगा, अभियन्ता यह बन्ध पत्र निष्पादित करता है, अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की यह शर्त है कि यदि अभियन्ता अपने प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् उसके नियमित संवर्ग में सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष पश्चात तक कारपोरेशन की सेवाओं को किसी भी समय कारपोरेशन की पूर्व अनुमति लिये बिना छोड़ेगा अथवा त्यागपत्र देगा, तब उस दशा में अभियन्ता और/अथवा प्रतिभू कारपोरेशन के मांगे जाने पर अविलम्ब बन्ध –पत्र में वर्णित धनराशि का भुगतान करेंगे तथा उसके (अभियन्ता) अथवा प्रतिभू द्वारा उपरोक्त धनराशि के मांगे जाने पर भुगतान करने के उपरान्त उपरोक्त बाध्यता प्रभावी नहीं होगी अन्यथा यह पूर्णरूपेण प्रभावी रहेगा।

यह सदा प्रतिबन्ध होगा कि यदि कारपोरेशन, अभियन्ता की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र की शर्तो के अनुसार कर देता है तो यह बन्ध पत्र निष्प्रभावी समझा जायेगा ।

हस्ताक्षरित

साक्षीः

अभियन्ता

1.

2.

प्रतिभू

1

परिशिष्ट "क"

चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी घोषणा पत्र

(क) उनके लिए जिनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतद् पश्चात् कोई अचल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की घोषणा में करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक ....

(क) उनके लिए जिनके पास अचल सम्पत्ति है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की अचल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ।

भूमि सम्पदा

सम्पादित जहां है।			क्षेत्र एकड़ में	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गई है तो उसके अर्जन का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
जनपद	तहसील	ग्राम					
1	2	3	4	5	6	7	8

भूमि सम्पदा

गृह जहां स्थित है।			गृह संख्या	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गई है तो उनके अर्जन का दिनांक	क्या स्वयं रहने के लिए प्रयोग कर रहे हैं या किराये पर दिया है ?	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
क्र0 सं0	ग्राम नगर उप नगर	जनपद						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में कोई अन्य अचन सम्पत्ति अर्जित करता/करती हूँ तो इस तथ्य को उपर्युक्त प्रपत्र में सम्पत्ति अर्जित के दिनांक को जानकारी पाने के दिनांक से एक मास के भीतर घोषित कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक ....

टिप्पणीः—अचल सम्पत्ति में ऐसा भवन व भूमि सम्पदा जो बंधक व पट्टे के रूप में अधिकारी/कर्मचारी या उसकी पत्नी/उसके पति या उसकी ओर से उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य जो उसके साथ संयुक्त हो या साथ रहता हो या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, द्वारा धारित या प्रतिबन्धित हो तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा ही धारित या प्रबन्धित की गई समझी जाएगी।

(ग) उनके लिए जिनके पास कोई हिस्से (Shares) या जमा पूंजी (Investment) नहीं है।

मैं एतद्द्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मैं किसी हिस्से (Shares) या जमा पूंजी (Investment) का स्वामी/की स्वामिनी नहीं है। यदि एतद्पश्चात् मैं कोई हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या जमा पूंजी लगाऊंगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की घोषणा में कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक ....

(घ) उनके लिए जो हिस्से (Shares) के स्वामी/स्वामिनी है या किसी अन्य जमा पूंजी (Investment) है।

मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं निम्नलिखित हिस्से व जमा पूंजी रखता/रखती हूँ :—

हिस्से (Shares)

क्र0 सं0	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक हिस्से का मूल्य	धारित हिस्सों की संख्या	हिस्सों का मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

जमा पूंजी (Investment)

क्र0सं0	विवरण	पूंजी लगाने की तिथि	मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5

यदि मैं आगे और हिस्से अर्जित करूंगा / करूंगी या अन्य कही पूंजी लगाऊंगा / लगाऊंगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित घोषणा में कर दूंगा / दूंगी।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक ....

चल सम्पत्ति

(च) केवल उनके लिए जिनके पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है ।

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है । यदि मैं एतदपश्चात कोई चल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की घोषणा में घोषित करूंगा/करूंगी ।

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पद ....
दिनांक ....

(छ) उनके लिए जिनके पास चल सम्पत्ति है ।

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की चल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ ।

क्रम संख्या	सम्पत्ति का विवरण	क्रय धारण करने की तिथि	मूल्य	क्या क्रय/धारण करने हेतु पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की गई थी ? यदि हॉ तो उस अनुज्ञा की संख्या तथ दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

चल सम्पत्ति का तात्पर्य ऐसी प्रत्येक चल सम्पत्ति से है जिसका मूल्य कर्मचारी के एक माह का वेतन, या उससे से अधिक है ।

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पद ....
दिनांक ....

5

परिशिष्ट "ख"

निष्ठा की शपथ

मैं एतद्द्वारा निष्ठापूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन अपनी सेवा अवधि में मैं कारपोरेशन की सेवा में अपने को सदैव निष्ठा व श्रद्धापूर्वक लगाए रखूंग/रखूंगी तथा उसके कार्य-कलापों की पूर्ण रूप से गोपनीयता बनाये रखूंगा/रखूंगी और अपने कर्तव्य पालन के दौरान या अन्य रूप में जानकारी में आयी किसी भी सूचना को प्रकट नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक..

परिशिष्ट "ग"

घोषणा

मैं .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी..

निवासी (पूरा पता) ....

....

एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि :–

(क) मैं न तो किसी ऐसे राजनीतिक दल/संस्था का सदस्य हूँ जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हो,

(ख) और न ही किसी ऐसे राजनीतिक दल अथवा संस्था से सहानुभूति अथवा सम्बन्ध रखता हूँ जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हों,

(ग) और न ही भविष्य में उनसे कोई सम्बन्ध/मेल जोल अथवा सहानुभूति रखूंगा।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक..

परिशिष्ट "घ"

(अभ्यर्थी द्वारा किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय संस्था/उपक्रम में कार्यरत न होने की दशा में)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय संस्था/उपक्रम में किसी भी रूप में कार्यरत नहीं हूँ। इस सूचना के मिथ्या पाये जाने पर मेरी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक..

(अभ्यर्थी द्वारा किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय संस्था/उपक्रम में कार्यरत होने की दशा में)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं .... के विभाग में सेवारत था। मैं अपने पूर्व नियोजक द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में सेवा आरम्भ करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया हूँ। कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र एतद्द्वारा संलग्न है।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक..

परिशिष्ट "य"

घोषणा पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....निवासी..ग्राम........................ पोस्ट..तहसील..जिला........................ ....राज्य.. एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि :–

(क) (1) मैं अविवाहित हूँ।

अथवा

(1) मैं विवाहित हूँ तथा मेरी/मेरे एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं है। मेरी पत्नी/मेरे पति का नाम..पुत्री/पुत्री श्री .... ग्राम ....जिला..राज्य.. हैं।

(2) मेरा अपनी पत्नी/मेरा अपने पति से तलाक नहीं हुआ है और न ही तलाक/सम्बन्ध–विच्छेद सम्बन्धी कोई कार्यवाही प्रक्रिया में है।

(3) यदि तलाक हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण संलग्न करें।

(ख) कारपोरेशन में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कार्मिक से मेरा किसी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि हैं तो पूर्ण विवरण दें।

सम्बन्धी अधिकारी/कार्मिक से सम्बन्ध एवं उनका नाम ....

पदनाम/पता ....

(ग) मैं किसी सरकारी संस्था/बैंक/संस्थान अथवा अन्य से पूर्ण रूप से ऋण मुक्त हूँ यदि है तो पूर्ण विवरण दें ....

....

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक ....

परिशिष्ट–छ

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिये
जाति प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .... निवासी/ग्राम ....तहसील.................................नगर ....जिला ....उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) /संसिवधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दी गई है ।

श्री /श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यता रहता है

स्थानः
दिनांकः
मुहरः

हस्ताक्षर...
पूरा नाम ....
पद नाम ....
जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो, जिला समाज कल्याण अधिकारी

परिशिष्ट–ज

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ज़ाति प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी श्री .... निवासी / ग्राम ....तहसील...............................नगर ....जिला ....उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति है । यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियॉ, अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (अधिनियम–1994) की अनुसूची –1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ....उक्त अधिनियम–1994 को अनुसूची–2 से आच्छादित नहीं है ।

श्री / श्रीमती / कुमारी .... तथा अथवा परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... जिला................. .... में सामान्यता रहता है ।

स्थानः
दिनांकः
मुहरः

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पद नाम ....
जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी /
सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट /
तहसीलदार

परिशिष्ट –'झ'

(कुल 4 प्रतियों में पूर्ण भरा जायेगा)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

साक्ष्यांकन प्रपत्र

फोटो

चेतावनी

(1) इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी वास्तविक सूचना को छिपाना किसी भी अभ्यर्थी को अनर्ह व उसे सेवायोजन दिए जाने के लिए अयोग्य कर सकता है।

(2) इस प्रपत्र को भरकर देने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी कभी हवालात में रखा गया हो, सजा दी गई हो या विवर्जित किया गया हो तो उसका विवरण उसे तुरन्त देना चाहिए और इसका उल्लेख न करने की दशा में, इसे वास्तविक सूचना को छिपाना माना जाएगा।

1 अनुक्रमांक :.. विधा..

2 (क) पूरा नाम (हिन्दी में) .... उपनाम (यदि कोई हो)..............................

(ख) पूरा नाम (अंग्रेजी के Capital letter में) ....

3 पिता का पूरा नाम.. उपनाम (यदि कोई हो)..............................

व्यवसाय.. वार्षिक आय..............................

माता का पूरा नाम.. उपनाम (यदि कोई हो)..............................

पत्नी/पति का पूरा नाम.. उपनाम (यदि कोई हो)..............................

4 (क) लिंग (पु0/स्त्री).. (ख) विवाहित/अविवाहित..............................

5 (क) जाति .... (ख) उपजाति..............................

6 (क) पिता की राष्ट्रीयता.. (ख) माता की राष्ट्रीयता..............................

(ग) पत्नी की राष्ट्रीयता.. (घ) पति की राष्ट्रीयता..............................

7 जन्म स्थान {स्वयं का}..

पति/पत्नी का {यदि विवाहित हो} जन्म स्थान..

8 (अ) गृह जनपद का नाम, जहाँ का रहने वाला/वाली हो..

(ब) स्थाई निवास का पूरा पता :

	हिन्दी में	अंग्रेजी में (Capital Letter में)
मकान/गृह संख्या :		
गली/मोहल्ला :		
नगर/ग्राम :		
तहसील :		
डाकघर :		
जिला/राज्य :		
पिन कोड :		
थाना :		
जिला प्रमुख का पदनाम/पता :		
जिला पुलिस प्रमुख का		

9 निवास प्रमाण पत्र निर्गमन के जिले/राज्य का नाम : ...."पिन कोड"...................

10 जाति प्रमाण पत्र निर्गमन के जिले/राज्य का नाम : ...."पिन कोड"...................

यदि मूल रूप में पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश के उसके सभी पते व भारत में आब्रजन की उसकी तिथि भी वार्णित की जानी चाहिए।

....

11 टेलीफोन/मोबाइल नं0 : ....
(परिवर्तन होने की दशा में सूचित करें)

12 ई0मेल आई0डी0 : ....
(परिवर्तन होने की दशा में सूचित करें)

13 पत्राचार का पूरा पता (यदि स्थाई पता ही पत्राचार का पता है तो इंगित करें): ....

....

....

14 पिछले पाँच वर्षो में पते :

क्र0सं0	दिनांक में	दिनांक तक	पता
1			
2			
3			
4			
5			

15 (क) जन्म तिथि (शब्दो/अंको में) अभ्यर्थी हाईस्कूल/समकक्ष के प्रमाण–पत्र अनुसार उसका उल्लेख करे :
....

....

(ख) आयु : (दिनांक 01 जुलाई, 2013 को) ....

16 शैक्षिक अर्हतायें अभ्यर्थी ने हाईस्कूल/समकक्ष से जिन स्कूल या कालेजों में शिक्षा पाई हो उनका उल्लेख उत्तीर्ण होने के वर्ष सहित करें।

क्र0सं0	परीक्षा जो उत्तीर्ण की	शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय का नाम व पूरा पता	उत्तीर्ण करने का वर्ष
1	हाईस्कूल			
2				
3				
4				
5				

17 उस कार्यालय या फर्म का पूरा विवरण* व पता जहाँ अभ्यर्थी पहले कार्य कर चुका हो या कार्य कर रहा हो

पद का नाम व कार्य का विवरण	प्रवेश की तिथि		कार्यालय फर्म या संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा को छोड़ने का कारण
	दिनांक से	दिनांक तक		

* यदि उपरोक्त विवरण के लिये अधिक स्थान की आवश्यकता हो तो पृथक शीट संलग्न करें–

18 मोहल्ले के दो प्रतिष्ठित (जो सम्बन्धी न हो) व्यक्तियों के नाम व पते जिन्हें अभ्यर्थी के बारे में जानकारी हो :–

(1) नाम.. व्यवसाय..

पता..

(2) नाम.. व्यवसाय..

पता..

19 (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार, सजा, हवालात, परिबन्धित, अर्थदण्ड दिया गया है या किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया है या किसी लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा/चयन में भाग लेने से विवर्जित/अनर्ह किया गया है या किसी शैक्षिक अधिकारी/संस्था द्वारा किसी परीक्षा में बैठने से विवर्जित या रेस्टीकेट किया गया हो।

(ख) क्या इस साक्ष्यांकन प्रपत्र को भरते समय आपके विरूद्ध किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी शैक्षिक अधिकारी/संस्था के अधीन कोई मामला विचाराधीन है।

टिप्पणी :–

(1) यदि उपरोक्त (क) या (ख) का उत्तर हाँ है तो इस प्रपत्र को भरते समय ऐसे मामले का पूरा विवरण गिरफ्तारी, हवालात, अर्थदण्ड, सजा इत्यादि व किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय/शैक्षिक अधिकारी के अधीन लम्बित मामले इत्यादि का पूरा विवरण दें।

(2) इस प्रपत्र के आरम्भ में दी गई चेतावनी को भी देखें।

अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला प्रमाण–पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी पूरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे ऐसी किन्ही भी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है जो कारपोरेशन के अधीन मेरे सेवायोजन में बाधक सिद्ध हो सकती है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

नाम (पूरा)..

....